

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धिपत्र

सं०सं०-18(प्रो०को०)/ए०सी०पी०-01-03/2017-257(प्रो०को०)/स्वा०, पटना, दिनांक-23.10.18

डा० शिवशंकर प्रसाद चौधरी, सेवा निवृत्त दंत चिकित्सक, सदर अस्पताल, बेगूसराय के दिनांक- 12.12.1998 से 31.10.1999 तक की निलंबन अवधि तथा दिनांक- 01.11.1999 से 29.02.2000 तक असाधारण अवकाश के रूप में विनियमन होने के कारण स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या- 133(प्रो०को०) दिनांक- 20.04.2018 द्वारा स्वीकृत ए०सी०पी० क्रमांक- 51 के स्तंभ 6 एवं 7 में अंकित प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि 09.08.1999 को संशोधित करते हुए प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि 01.03.2000 किया जाता है।

2. अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे।
3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-18(प्रो०को०)/ए०सी०पी०-01-03/2017-257(प्रो०को०)/स्वा०, पटना, दिनांक-23.10.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को उनके पत्रांक- जी०ई-02-529 दिनांक- 03.09.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ सिविल सर्जन, बेगूसराय/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बेगूसराय/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० शिव शंकर प्रसाद चौधरी, सेवा निवृत्त दंत चिकित्सक, पता- चौधरी डेन्टल क्लिनिक, डा० एस०एस०पी० चौधरी, दंत चिकित्सक, विष्णुपुर बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/10/18

सरकार के अवर सचिव।

13/11/18